



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच-130 A, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वन मंडलवार प्रभावित होने वाला रकबा निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	जांजगीर-चांपा	29.928	12.473	4.380	46.781
2	बिलासपुर	—	—	0.771	0.771
	योग	29.928	12.473	5.151	47.552

अतएव प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि 47.552 हे. व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 02/11/2020

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 प्रधान एवं वन संरक्षक
 वन मंडल प्रमुख
 छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-804/1940

दिनांक 03/11/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Proposed Project pertains to Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur - Uurga section of NH-130 A (Raipur - Dhanbad Economic Corridor which shall start at Junction with NH 130 & NH-130 A area - 47.552 ha. regarding.
रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/ROAD/ 38338/2018

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1841 दिनांक 17.08.2020 एवं पत्र क्रमांक 2391 दिनांक 23.10.2020

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 4) - आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच-130 A, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांघा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	जांजगीर-चांघा	29.928	12.473	4.380	46.781
2	बिलासपुर	—	—	0.771	0.771
	योग	29.928	12.473	5.151	47.552

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 5 से 12) - वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/ROAD/ 38338/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.12.2019 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 46000 रुपये जमा कराया गया है।

65
बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 17) — बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 149) — प्रस्तावित क्षेत्र में बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत 480.046 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 150 से 153) — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 154 से 159) — वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र — 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 160 से 172) — प्रपत्र — 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 12.473 हे., आरक्षित वन भूमि 29.928 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.151 हे. कुल 47.552 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 105300 लाख बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.3 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 173 से 180) — बिलासपुर जिले के बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांपा जिले के जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. (संरक्षित वन भूमि 12.473 हे., आरक्षित वन भूमि 29.928 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.151 हे.) वन भूमि बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 181 से 182) — यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 183 से 185) — प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 186 से 201) — भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र — अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 202 से 305) — आवेदित क्षेत्र में बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 47 एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत 7,938 नग मिश्रित प्रजाति के कुल 7,985 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनीफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 306 से 326) — परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. — चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) — राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 327 से 328 तक) — प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 329 से 353) — प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 354 से 388 तक) — आवेदित वन भूमि 47.552 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि ग्राम कोड़गार, पेण्ड्रा परिक्षेत्र, मरवाही वन मंडल में 95.205 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 389 से 390) — वैकल्पिक वृक्षारोपण वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 391 से 393) — वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 394 से 395) — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 396 से 397) — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 398 से 399) — वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 400 से 401) — प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 402 से 403) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 404 से 405) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 406 से 427) — प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र-2 से 14 तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 408 से 427) — भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा दिनांक 09.10.2020 को एवं वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल द्वारा दिनांक 14.07.2020 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 428 से 430) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा एवं बिलासपुर वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 431 से 435) — प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 26.02.2019 अनुसार लीनियर प्रकरण के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (स्कबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 436 से 438) — बिलासपुर जिले की कुल वन भूमि 78336.000 हे. है एवं जांजगीर-चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.66 वर्ग कि.मी. है।

67
बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 439 से 441) — बिलासपुर वन मंडल 723.378 हे. एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 442 से 444) — बिलासपुर वन मंडल 723.378 हे. एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 445 से 451) — प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 452 से 453) — खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 454 से 456) — आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बिलासपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2019 संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 435) कलेक्टर जांजगीर-चांपा का प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 457 से 462) — प्रस्ताव में जिला बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वन भूमि रकबा 0.771 हे. का कलेक्टर बिलासपुर का दिनांक 08.07.2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। कलेक्टर जांजगीर-चांपा का राजस्व वन भूमि संबंधी प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय प्रस्तुत किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 463 से 465) — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 466 से 468) — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 469 से 471) — प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है जो चावल के पैदावर के लिए बहुत अच्छा है। मृदा वृक्षों / वनस्पतियों के लिए सामान्य है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 472 से 474) — वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 475 से 476) — केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 477 से 480) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 481 से 482) – हाईवे परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 483 से 484) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 485 से 507) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 3 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(प्र.मु.व.संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
o/c छत्तीसगढ़